(५५)१५११

2019/00383

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **378/2019** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार कुमावत पुत्र श्री श्रवण लाल कुमावत
   पता–184, कुमावत की ढाणी आष्टी कला तहसील चौमू।
   कालाझाड के पास, कुमावत की ढाणी, आष्टी कला, बधाल, तहसील चौमू, जिला जयपुर एवं प्लाट नम्बर 07 स्थित खसरा नम्बर 1572/823, ग्राम बधाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।
2. सुनिता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार कुमावत
   पता–184, कुमावत की ढाणी आष्टी कला तहसील चौमू।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थितः–

1.श्री अखिल मोदी अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश **दिनांक** 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2017 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार कुमावत के स्वामित्व का संपरिवर्तन शुदा आवासीय प्लाट नम्बर 07, स्थित खसरा नम्बर 1572/823, ग्राम बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर क्षेत्रफल 170 वर्गगजं को बन्धक रख कर 12,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में अप्रार्थीगण ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर, 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नव ज्योति में दिनांक 20.08.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नही कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार कुमावत के स्वामित्व का संपरिवर्तन शुदा आवासीय प्लाट नम्बर 07, स्थित खसरा नम्बर 1572/823, ग्राम बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर क्षेत्रफल 170 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

7. आदेश आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर